"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017—चैत्र 3, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुन्ती बाई पति श्री मंगलचंद, उम्र 55 वर्ष, निवासी-ग्राम बासिन, पोस्ट करंजा भिलाई, थाना जेवरा सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री मंगलचंद के भिलाई इस्पात संयंत्र के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम (पत्नि के स्थान पर) कुन्ती बाई सतनामी दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य समस्त शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती कुन्ती बाई दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कुन्ती बाई रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती कुन्ती बाई पति श्री मंगलचंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुन्ती बाई सतनामी
पति श्री मंगलचंद
निवासी-ग्राम बासिन, पोस्ट करंजा भिलाई,
थाना जेवरा सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कुन्ती बाई
पति श्री मंगलचंद
निवासी-ग्राम बासिन, पोस्ट करंजा भिलाई,
थाना जेवरा सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पार्वती बरेठा पति श्री रमेश कुमार बरेठा, निवासी-से. 1, क्वा. नं. 7 बी, सड़क 8, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री रमेश कुमार बरेठा के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती पार्वती दर्ज हो गया है. मेरे आधार कार्ड, पासबुक एवं अन्य दस्तावेज में मेरा नाम श्रीमति पार्वती बरेठा पति श्री रमेश कुमार बरेठा दर्ज है जो कि सही व सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमति पार्वती बरेठा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति पार्वती बरेठा पति श्री रमेश कुमार बरेठा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमति पार्वती
पति-श्री रमेश कुमार बरेठा
निवासी-क्वा. नं. 7 बी, सड़क 8, सेक्टर 1,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन 490001

नया नाम

श्रीमति पार्वती बरेठा
पति-श्री रमेश कुमार बरेठा
निवासी-क्वा. नं. 7 बी, सड़क 8, सेक्टर 1,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
पिन 490001

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गीता बाई देवांगन (Smt. Gita Bai Dewangan) पति श्री अमर नाथ देवांगन, आयु 54 वर्ष, निवासी-जामुल रावणभाठा, वार्ड नं.-5, गणेशनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री अमर नाथ देवांगन के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती गीता बाई (Smt. Gita Bai) दर्ज किया गया है जबकि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती गीता बाई देवांगन (Smt. Gita Bai Dewangan) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती गीता बाई देवांगन रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती गीता बाई देवांगन पति श्री अमर नाथ देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती गीता बाई (Smt. Gita Bai)
पति श्री अमर नाथ देवांगन
निवासी-जामुल रावण भाठा, वार्ड नं.-5,
गणेशनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती गीता बाई देवांगन
(Smt. Gita Bai Dewangan)
पति श्री अमर नाथ देवांगन
निवासी-जामुल रावण भाठा, वार्ड नं.-5,
गणेशनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद इमरान खान आ. नेब्बूलाल, उम्र 31 वर्ष, निवासी-मकान नं. 84 , बजरंग चौक, आर्य नगर, कोहका भिलाई, वार्ड नं. 7, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा पूर्व का नाम ओमचंद आ. नेब्बूलाल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद इमरान खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मोहम्मद इमरान खान आ. नेब्बूलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ओमचंद आ. नेब्बूलाल निवासी-मकान नं. 84 , बजरंग चौक, आर्य नगर, कोहका भिलाई, वार्ड नं. 7, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	मोहम्मद इमरान खान आ. नेब्बूलाल निवासी-मकान नं. 84 , बजरंग चौक, आर्य नगर, कोहका भिलाई, वार्ड नं. 7, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील जैन आत्मज श्री महेन्द्र जैन, उम्र 51 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 09, अम्बेडकर नगर, शान्ति नगर, जैन श्वेताम्बर मंदिर के पास, सुपेला, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र की जन्मतिथि 21-12-2002 है. एवं जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम रोहन जैन दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम ऋषभ जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को ऋषभ जैन पिता श्री सुनील जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रोहान जैन (Rohan Jain) पिता-श्री सुनील जैन (Sunil Jain) निवासी-वार्ड नं. 09, अम्बेडकर नगर, शान्ति नगर, जैन श्वेताम्बर मंदिर के पास, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	ऋषभ जैन (Rishabh Jain) पिता-श्री सुनील जैन (Sunil Jain) निवासी-वार्ड नं. 09, अम्बेडकर नगर, शान्ति नगर, जैन श्वेताम्बर मंदिर के पास, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक कुमार सूर्यवंशी (Abhishek Kumar Suryavanshee) पिता श्री विजय कुमार (Vijay Kumar), उम्र 20 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क-73, सेक्टर-6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पिता विजय कुमार के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भूलवश अभिषेक कुमार दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक व सही नाम अभिषेक कुमार सूर्यवंशी पिता श्री विजय कुमार है जो कि मेरे आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम अभिषेक कुमार सूर्यवंशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अभिषेक कुमार सूर्यवंशी पिता श्री विजय कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) पिता श्री विजय कुमार निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क-73, सेक्टर-6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	अभिषेक कुमार सूर्यवंशी (Abhishek Kumar Suryavanshee) पिता श्री विजय कुमार निवासी-क्वा. नं. 1/ए, सड़क-73, सेक्टर-6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 8 मार्च 2017

प्रारूप
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/504 /प्र. 2/अ. वि. अ./2017.— यत: कि श्री शमित वर्मा मैनेजिंग ट्रस्टी "विशाल चेरिटेबल ट्रस्ट" एमआईजी-II पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा "विशाल चेरिटेबल ट्रस्ट" एमआईजी-II पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग पिन 491001" के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 12-04-2017 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम व पता	:	"विशाल चेरिटेबल ट्रस्ट" एमआईजी-II पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग.
(2)	चल संपत्ति	:	200000-00 (अक्षरी दो लाख नगद बैंक में)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

कैलाश वर्मा
पंजीयक .

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्रमांक/उ. पं. दु. /परिसमापन/2017/139.—भारतीय नागरिक औद्योगिक ईंट, खपरा सहकारी समिति मर्या. सिपकोन्हा, पंजीयन क्रमांक-2212 जिला दुर्ग को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/529 दुर्ग, दिनांक 30-03-2014 द्वारा श्री अभय कापरे, उप अंकेक्षक कार्यालय दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अभय कापरे, उप अंकेक्षक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि संस्था का पंजीयन पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है. कार्यालयीन अभिलेख (फाईल) में पंजीयन निरस्तीकरण आदेश संलग्न नहीं होने के कारण अभी भी परिसमापनाधीन सहकारी समितियों की सूची में उक्त समिति का नाम दर्ज है. अत: नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आदेश जारी किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत भारतीय नागरिक औद्योगिक ईंट, खपरा सहकारी समिति मर्या. सिपकोन्हा, पंजीयन क्रमांक-2212 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.